रजिस्ट्री सं० डी०एल०--33004/95

REGD. NO. D.L.--33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3-- उप-खण्ड (i)
PART II--Section 3 --Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 1995/भाद्र 17, 1917
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1995/BHADRA 17, 1917

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1995

सा०का०नि० 626(अ).—राष्ट्रपति, अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र वित्त आयोग (सेवा शर्तें और अन्य प्रकीर्ण उपबंध) नियम, 1995 है ।

(2) ये अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे,

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;
(ख) ''अध्यक्ष'' और ''सदस्य'' से नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अभिप्रेत है;
(ग) ''आयोग'' से अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;
(घ) ''राजपत्र'' से भारत का राजपत्र अभिप्रेत है;
(ड.) ''विनियम'' से अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 अभिप्रेत है;
(च) ''धारा'' से विनियम की धारा अभिप्रेत है;
(छ) ''संघ राज्यक्षेत्र'' से अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

3. **वित्त आयोग की संरचना** (1)—वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति अवधारित करे ।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित आदेश से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी :

परंतु कोई व्यक्ति जो—

(क) संघ या किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् का सदस्य है; या
(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य या संसद् सदस्य है; या
(ग) किसी संघ राज्यक्षेत्र की पंचायत या नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या कोई कर्मचारी है,

आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

4. **नियुक्ति के लिए अर्हताएं** :—(1) अध्यक्ष का नियुक्ति के लिए चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें लोक प्रशासन में या वित्त और आर्थिक प्रशासन में या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन का अनुभव है ।

(2) सदस्य का नियुक्ति के लिए चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनसे पास—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान है; या
(ख) स्वायत शासन, जिसके अंतर्गत पंचायत या नगरपालिका भी है, के संस्थाओं के वित्तीय मामलों में और इसमें प्रकाशन का व्यापक अनुभव है; या
(ग) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है ।

5. **नियुक्ति की अवधि** :—धारा 186 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति में प्रसाद पर्यन्त ऐसी अवधि के लिए जो नियम 1 के उपनियम (2) के अधीन जारी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेंगे

6. **अध्यक्ष और सदस्य होने के लिए अनहर्ता** :—कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब अनर्हित होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या
(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या
(ग) अनुमोचित दिवालिया न्याय निर्णणी किया जाता है, या
(घ) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है दोष सिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, या
(ड.) राष्ट्रपति के समाधानप्रद रूप में संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन में ऐसा वित्तीय और अन्य हित रखता है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

7. **अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें**—(1) अध्यक्ष और सदस्य जैसा कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन जारी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट करे, आयोग की पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा करेगा ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य को क्रमश: 8,000 रुपए और 7,500 रुपए प्रतिमास के नियत वेतन का संदाय किया जाएगा :

परंतु यदि किसी सदस्य की नियुक्ति आयोग में अंशकालिक सेवा करने के लिए की जाती है तो उसे 4,000 रुपए प्रतिमास की नियत फीस का संदाय किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य के अन्य निबंधन और सेवा की शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम श्रेणी के अधिकारी को लागू होती हैं ।

8. **त्यागपत्र**—अध्यक्ष या सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

9. **हटाया जाना**—राष्ट्रपति, राजपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित आदेश द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेंगे यदि वह व्यक्ति—

(क) नियुक्ति के पश्चात् नियम 6 में निर्दिष्ट किसी अनहर्ता के अध्यधीन हो गया है, या

(ख) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसका पद पर बने रहना अवांछनीय हो गया है :

परन्तु नियम 6 के खंड (ड.) के अधीन या इस नियम के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए ।

10. **अध्यक्ष के पद पर रिक्ति**—यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष प्राधिकृत अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो आयोग का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह पद ग्रहण नहीं कर लेता या अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता ।

11. **आयोग के कर्मचारिवृन्द**—(1) प्रशासन आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा जो विनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सचिव और अन्य कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो किसी सरकारी अधिकारी/समतुल्य श्रेणी के किसी पदधारी को लागू होती हैं ।

12. **आयोग का मुख्यालय**—आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

13. **प्रक्रिया**—आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, जिसमें उसकी बैठकें आयोजित करना भी है स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा ।

14. **आयोग के कृत्य**—आयोग मंत्रालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्न के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा—

(क) वे सिद्धांत जिनसे निम्नलिखित शासित होने चाहिए—

(i) ऐसे करों, शुल्कों, पथकर फीसों का, जो पंचायतों को समनुदेशित की जा सकेगी या जो उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकेगा, अवधारण;

(ii) भारत की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान ।

(ख) पंचायत की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए अपेक्षित उपाय ।

(ग) पंचायत के ठोस वित्त के हित में उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामले ।

15. आयोग को निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वे सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को हैं; अर्थात् :—

(क) किन्हीं साक्षियों को समन करना और उनको हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई अभिलेख अपेक्षा करना;

8. *Resignation.*—The Chairman or Member may, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office.

9. *Removal.*—The President may, by order duly published in the Official Gazette, remove the Chairman or Member from the office if that person :—

(a) after appointment has become subject to any of the disqualifications referred to in rule 6; or

(b) has, in the opinion of the President, so abused the position of Chairman or Member as to render his continuance in office as Chairman or Member undesirable :

Provided that no person shall be removed under clause (e) or rule 6, or under this clause (h) of this rule until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

10. *Vacancy in office of Chairman.*—If the office of the Chairman becomes vacant or the Chairman is unable to discharge his functions owing to authorised absence, illness or any other cause, such Member of the Commission as the President may, by order published in the Official Gazette specify, shall discharge the functions of the Chairman until a new Chairman is appointed and assumes office or, as the case may be, the Chairman resumes his duties.

11. *Staff of the Commission.*—(1) The Administrator shall provide the Commission a Secretary and such other employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under the Regulation.

(2) The terms and conditions of service of the Secretary and other employees referred to in sub-rule (1) shall be such as are applicable to a Government officer/Official of equivalent grade.

12. *Headquarter of the Commission.*—The Headquarter of the Commission shall be at New Delhi.

13. *Procedure.*—The Commission shall regulate its own procedure for discharge of its functions including holding of its meetings.

14. *Functions of the Commission.*—The Commision shall review the financial position of the Panchayats and make recommendations to the President as to—

(a) the principles which should govern—

(i) the determination of taxes, duties, tolls, fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats,

(ii) the grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of India;

(b) the measure needed to improve the financial position of the Panchayats;

(c) any other matter referred to it by the President in the interest of sound finances of the Panchayats.

15. *Powers of the Commission.*—(1) The Commission shall have all the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendence of witnesses;

(b) requiring the production of any document;

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have powers to require any person to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for or relevant to, any matter under consideration of the Commission and any person so required shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be deemed to be legally

bound to furnish such information within the meaning of Section 176 of the Indian Penal Code.

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the Union Territory.

16. *Submission of Report of Commission.*—(1) The Commission shall submit its report containing its recommendations to the President and the Administrator, as soon as possible.

(2) The President shall cause every recommendation made by the Commission together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both Houses of Parliament.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]
R. R. SHAH, Jt. Secy.